

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
हुक्म या कार्रवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए।

रामअयतार बनाम अशोक
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट
वाद संख्या- 02 / 171 / 2022

14.10.2022 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि खातेदारी आराजी के खसरा संख्या 1160 / 1.38, 1161 / 5.25 वाके ग्राम कुण्डला तहसील टहला जिला अलवर से अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के साथ कार्यकाशत करने में रुकावट व गजाहमत पैदा न करें। न प्रार्थीगण को विवादित आराजी से जबरन बेदखल करके कब्जा करें। ना गलत इन्द्राज की आड में विवादित आराजी को रहन बय आदि द्वारा मुत्तिकल करें। व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर जाँचना आवश्यक है-

- (अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व/कब्जा होना आवश्यक है।
- (ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है।
- (स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना साबित होनी चाहिये।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। अपने हिस्सेनुसार काबिज काशत है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुये अप्रार्थीगण को आराजी के खसरा संख्या 1160 / 1.38, 1161 / 5.25 वाके ग्राम कुण्डला तहसील टहला जिला अलवर को आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.11.2022 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा है कि विवादित आराजी पर आगामी तारीख पेश तक रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 17.11.2022 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)


पीटाररीन अधिकारी अन्य कार्यों में
व्यस्त है। फत्रावली दिनांक.....
में पेश हो।

तारीख
हुकम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न
अह
हुक
मे

10/11/20 पञ्जावली शकजारी पैसी से
पैरा। वकील शर्मा उप/ वकील शर्मा के
द्वारे में करी अख्तार तामील हेतु दिये
गये। लेकिन आज कि तक तामील
नही करारि गरी। इसलिए डा. प्रज 09/11/20
CPC में खारीज किया जाता है/ पञ्जावली
नम्बर से कम होकर प्रमा लेख भगाए
है।



[Faint, illegible text and stamps, likely bleed-through from the reverse side of the page]